प्रेस विज्ञप्ति

01.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिव्येश दर्जी और अन्य के मामले में क्रिप्टो मुद्राओं, सोना और नकद (भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर में) के रूप में 433 करोड़ (लगभग) रुपये की चल संपत्तियों को, जो अपराध की आय है, अस्थायी रूप से संलग्न किया है।

ईडी ने सीआईडी, अपराध, पुलिस स्टेशन, सूरत द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860, गुजरात जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम (जीपीआईडी), 2003 और प्राइज चीट मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, 1978 की विभिन्न धाराओं के तहत दिव्येश दर्जी, सतीश कुंभानी, शैलेश भट्ट और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि उक्त संपत्ति संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनकी वैध आय से अर्जित नहीं की गई थी और इसे पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों के परिणामस्वरूप प्राप्त/अर्जित किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि नवंबर, 2016 से जनवरी, 2018 की अवधि के दौरान, बिटकनेक्ट कॉइन (एक क्रिप्टोकरेंसी) के प्रमोटर सतीश कुंभानी ने प्रमोटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित किया और जनता को भारी रिटर्न का लालच देकर बिटकॉइन कॉइन से संबंधित विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। अब तक हुई जांच के मुताबिक, सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों ने भारी निवेश जुटाया था और निवेशकों को धोखा दिया था। बाद में, अपराध की आय का एक हिस्सा जो सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित किया गया था, शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों द्वारा सतीश कुंभानी के दो सहयोगियों का अपहरण करके वसूला गया था।

अस्थायी रूप से कुर्क की गई चल संपत्तियां सतीश कुंभानी, शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित अपराध की आय का हिस्सा हैं।

आगे की जांच जारी है।

****